कार्यालय राहत आयुक्त,
कक्ष क्रमांक 120–सी प्रथम तल,
मंत्रालय, वल्लभ भवन

क्रमांकः 308 /रा.आ./लेखा–2/2014 भोपाल,दिनांक 04 मार्च, 2014

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।

विषयः–मांग संख्या 58 से राहत सहायता वितरण करने संबंधी निर्देश।
संदर्भः–इस कार्यालय का आबंटन आदेश क्रमांक 2452/दिनांक 1फरवरी 2014.

.....

विषयांतर्गत मांग संख्या 58 से फसल क्षति एवं अन्य क्षति के लिए प्रभावित कृषकों को राहत राशि का भुगतान कोर बैंकिंग के माध्यम से किये जाने हेतु पूर्व में आबंटन आदेशों में उल्लेख किया गया है। प्रकरणों में समस्त प्रभावित कृषकों के बैंक खाते नम्बर एवं मोबाईल नम्बर दर्ज किए जाएं , परन्तु फसल क्षति की राहत राशि वितरण हेतु जारी किये गये परिपत्र दिनांक 1 फरवरी 2014 की कंडिका 3–क में निम्नानुसार संशोधन किया जाता हैः–

जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के अधीनस्थ जिले में निचले स्तर पर संचालित प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (PACS) में कोर–बैंकिंग सुविधा उपलब्ध न होने के कारण जिन कृषकों के द्वारा प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों में अपने खाते संचालित किये जा रहे हैं उन आपदा प्रभावित कृषकों को राहत राशि के भुगतान की प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैः–

कलेक्टर द्वारा प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों में खाता संचालित करने वाले सभी आपदा प्रभावित कृषकों के नाम, उनके खाते क्रमांक, प्राथमिक कृषि सहकारी समिति का नाम जहॉ उनका खाता संचालित है, संबंधित के खाते में जमा की जाने वाली राहत राशि के विवरण की एकजाई सूची तैयार कर जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक को भेजी जायेगी। साथ ही सूची में उल्लेखित संपूर्ण राहत राशि भी जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक में जमा करायी जायेगी, तदुपरान्त जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा अपनी आंतरिक मनी ट्रांसफर प्रणाली (मेन्युअल सिस्टम) के माध्यम से सूची में उल्लेखित आपदा प्रभावित कृषकों के खाते में राहत राशि अंतरित करने हेतु तत्काल कार्यवाही की जायेगी।(इस संबंध में सहकारिता विभाग द्वारा भी जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों को पृथक से निर्देश जारी किये जा रहे हैं।) जिन आपदा प्रभावित कृषकों के खाते राष्ट्रीयकृत बैंकों में संचालित हैं उन्हें कोर बैंकिंग के माध्यम से उनके खाते में राशि अंतरित की जाएगी।

उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।

4/3/14

(आर.के. चतुर्वेदी)
प्रमुख सचिव राजस्व एवं
राहत आयुक्त, म.प्र.

:/E/vis.Gen. letter